फॉस्टर केयर और फॉस्टर दत्तक-ग्रहण – एक नज़र में

फॉस्टर केयर:

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अल्पकालीन या दीर्घकालीन देखरेख के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) के अनुसार फॉस्टर केयर में दिया जाएगा।

योग्यता

- **बच्चों के लिए: 6-18 वर्ष की आयु के बच्चे फॉस्टर केयर के लिए पारिवारिक देखरेख में जा सकते हैं।**
- **माता-पिता के लिए:** जो भी भारतीय नागरिक किसी बच्चे को फॉस्टर करना चाहते हैं उन्हें CARINGS पोर्टल (carings.wcd.gov.in) पर अपना पंजीकरण करना होगा। अधिक जानकारी के लिए मॉडल फॉस्टर केयर गाइडलाइंस, 2024 देखें।

फॉस्टर दत्तक-ग्रहण: कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करने पर फॉस्टर केयर को फॉस्टर दत्तक-ग्रहण में परिवर्तित किया जा सकता है -

- बच्चे ने उसी परिवार के फॉस्टर केयर में 2 वर्ष पूरे कर लिए हों।
- बच्चा विधिक रूप से विमुक्त (LFA) घोषित किया जा चुका हो।
- बच्चे और फॉस्टर माता-पिता, दत्तक-ग्रहण के लिए दोनों की सहमति हो।
- किशोर न्याय अधिनियम, नियम और मॉडल फॉस्टर केयर गाइडलाइंस के सभी नियम का अनुपालन हो गया हो।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) की धारा 68(ग) के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, CARA ने दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 को तैयार किया, जो 23 सितंबर, 2022 से लागू है।

किशोर न्याय अधिनियम (2021 में संशोधित) की धारा 32 (1) के अनुसार, अभिभावक से बिछड़ गया बच्चा यदि मिलता है तो उसकी सूचना बाल सहायता सेवा या किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन या बाल कल्याण समिति (CWC) या जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को देनी चाहिए या उस बच्चे को पंजीकृत बाल देखरेख संस्थान को सौंप देना अनिवार्य है, अन्यथा इसे अधिनियम की धारा 33 तथा 34 के अनुसार एक अपराध माना जाएगा।

गोद लेने के लिए पंजीकरण:
https://carings.wcd.gov.in/
वेबसाइट: https://cara.wcd.gov.in/

CARA हेल्पलाइन नंबर: 1800-11-1311
8:00 AM to 8:00 PM (सोम-शुक्र) राजपत्रित छुट्टियों को छोड़कर
CARA सहायता डेस्क ई-मेल:
carahdesk.wcd@nic.in

सत्यमेव जयते

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

हर बच्चे
के लिए एक
प्यारा परिवार

CARA

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child

फॉस्टर केयर और दत्तक-ग्रहण के जरिए बड़े बच्चों का पुनर्वास

बच्चों के लिए पारिवारिक देखरेख का प्रावधान

- माता-पिता या संरक्षक द्वारा छोड़े जाने पर किसी भी बच्चे को तत्काल पारिवारिक देखरेख की आवश्यकता हो सकती है।
- कोई भी **'बाल देखरेख संस्था'** (CCI) बच्चे को आश्रय प्रदान करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन उसका सही मायने में पालन-पोषण और पुनर्वास पारिवारिक माहौल में ही संभव है।
- बच्चे के मूल अधिकारों, आवश्यकताओं और सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए पारिवारिक माहौल की ही आवश्यकता होती है।
- सर्वोत्तम हितों का पर्याय बच्चे की व्यक्तिगत पहचान एवं सामाजिक सुरक्षा के साथ शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक उत्थान से है।

बड़ी उम्र के बच्चों के लिए संस्थागत देखरेख के बजाए कैसे बेहतर है फॉस्टर देखरेख का विकल्प?

01 आमतौर पर अभावग्रस्त जीवन जी रहे बच्चों को फॉस्टर केयर की मदद से परिवार का प्यार और उनकी देखरेख मिल जाती है।

02 फॉस्टर केयर से बच्चों को बेहतर माहौल मिलता है जिसमें हर प्रकार की सुरक्षा, प्रगति और कल्याण निहित होते हैं।

03 इससे बच्चों को ऐसा स्थान मिलता है जहाँ वे तब तक रह सकते हैं जब तक उन्हें उनके जैविक माता-पिता पुनः नहीं मिलते, या फिर उनका दत्तक-ग्रहण नहीं हो जाता।

CARA

फॉस्टर देखभाल कौन-कौन कर सकता है?

वैवाहिक स्तर पर

- अविवाहित, विवाहित, विदुर/विधवा, तलाक़शुदा या फिर कानूनी रूप से अलग हुए व्यक्ति।

वैवाहिक दंपति

- सभी भारतीय नागरिक, जहाँ पर पति-पत्नी दोनों की उसी बच्चे को फॉस्टर करने की सहमति हो, और साथ में कम-से-कम 2 वर्ष का वैवाहिक संबंध स्थायी व सुखमय हो।

एकल भावी फॉस्टर माता-पिता

- अविवाहित महिलाएं किसी भी लिंग के बच्चे को फॉस्टर कर सकती हैं जबकि अविवाहित पुरुष केवल बालकों को ही फॉस्टर कर सकते हैं, बालिकाओं को नहीं।

CARINGS पोर्टल के अनुसार

- CARINGS पर पंजीकृत भावी दत्तक माता-पिता किसी बच्चे को फॉस्टर नहीं कर सकते।

स्वस्थ एवं सक्षम व्यक्ति

- भावी फॉस्टर माता-पिता शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और वित्तीय रूप से सक्षम होने चाहिए।

फॉस्टर केयर में गए बच्चे के लिए सावधानियों का अनुपालन

- फॉस्टर किए गए बच्चे को अपनत्व के साथ पाला जाना चाहिए ताकि पारिवारिक संबंध सुदृढ़ हों।
- फॉस्टर परिवार में बच्चा किसी भी प्रकार के शारीरिक, भावनात्मक, यौन शोषण या फिर उपेक्षा का शिकार नहीं होना चाहिए।
- किसी बड़ी अक्षमता या बीमारी के अलावा हर परिस्थिति में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चा प्रतिदिन स्कूल जा रहा हो।
- बच्चे के लिए दी जा रही वित्तीय सहायता का गलत उपयोग न हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- किसी भी परिस्थिति में कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बच्चे से मज़दूरी न करवाई जाए।
- बच्चे के जैविक माता-पिता से मुलाक़ात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

फॉस्टर केयर और दत्तक-ग्रहण की नियमावली

(क) फॉस्टर केयर

- पोर्टल पर फॉस्टर माता-पिता के द्वारा स्व-पंजीकरण किया जाएगा।
- जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) माता-पिता/बच्चे से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करेगी।
- बच्चे और भावी फॉस्टर माता-पिता के संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष रखे जाएंगे।
- जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), बच्चे के निवास के अनुसार संबंधित बाल कल्याण समिति (CWC) की मंजूरी से बच्चे का भावी फॉस्टर माता-पिता से मिलान करेगी।
- बाल कल्याण समिति (CWC) फॉस्टर केयर का आदेश, फॉर्म 32 के अनुसार जारी करेगी।
- फॉस्टर परिवार द्वारा वचनबंध (Undertaking) पर हस्ताक्षर: फॉर्म 33 के अनुसार किया जाएगा।
- जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करेगी।

(ख) फॉस्टर दत्तक-ग्रहण

- जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) दत्तक-ग्रहण के प्रस्ताव की अनुशंसा राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) से करेगी।
- राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) अनुशंसा करते हुए इस प्रस्ताव को केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) को अनुमोदन के लिए भेजेगा।
- केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) पूर्व-अनुमोदन पत्र जारी कर प्रस्ताव को वापस राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) को भेजेगा।
- राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) प्रस्ताव को जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) के पास भेजेगा।
- संबंधित जिलाधिकारी (DM) के कार्यालय से दत्तक-ग्रहण आदेश प्राप्त करने हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) एक आवेदन पत्र दाखिल करेगी।
- जिलाधिकारी (DM) द्वारा दत्तक-ग्रहण आदेश जारी किया जाएगा।
- जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।
- दत्तक-ग्रहण के उपरांत जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कार्य रिपोर्ट जारी करेगी।